<u>न्यायालयः सेशन न्यायाधीश,झुंझुनूं (राजस्थान)</u>

लिंक पीठासीन अधिकारीः– **आशीष कुमार कुमावत**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध(जमानत)प्रकरण संख्या–132/2026(CIS NO.151/26)

1. रोहिताश पुत्र गुगनराम निवासी ग्राम लालपुर पुलिस थाना बगड़ जिला–झुंझुनूं(राज०)
2. वेदप्रकाश पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम लालपुर पुलिस थाना बगड़ जिला–झुंझुनूं(राज०) **.....प्रार्थी/अभियुक्तगण**

ब ना म

राज० राज्य जरिए लोक अभियोजक **.....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भा० ना० सु० सं०
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–24/2026 पुलिस थाना–धनूरी
अपराध अंतर्गत धारा–19/54,54 ए राज० आब० अधि०

उपस्थिति
1. श्री मोहम्मद रफीक खान, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से
2. श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

<u>आ दे श</u> दिनांकः12.03.2026

1. यह जमानत आवेदन उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झुंझुनूं द्वारा दिनांक 09.03.2026 को धारा–480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज किए जाने से व्यथित होकर पेश किया गया। नकल लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं केस डायरी तलब की गई।

2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, झुंझुनूं के अवकाश होने से यह जमानत आवेदन सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

2. प्रकरण के तथ्यानुसार दिनांक 06.03.2026 को श्री ओमप्रकाश स०उ०नि० पुलिस थाना धनूरी द्वारा मय जाब्ता के मुखबिर खास से मिली इत्तला पर मलसीसर से झुंझुनूं से लिंक रोड़ पिपल का बास सोनासर की तरफ जानी वाली सड़क पर अभियुक्तगण के कब्जेशुदा एक सफेद रंग की कार Zest No. RJ18CB 6368 की डिग्गी से कुल 07 खाखी रंग के कार्टून में प्रत्येक में 48 पव्वे प्लास्टिक के देशी मदिरा

सादा के कुल 336 पव्वे देशी मदिरा के बिना किसी अनुज्ञा पत्र के बरामद किये गये। अभियुक्तगण का अपराध धारा–19/54 के तहत दण्डनीय अपराध होने से मौके की कार्यवाही की गई व अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया एवं अभियोग संख्या–24/2026 अपराध अंतर्गत धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान से अभियुक्त रोहिताश कुमार के विरूद्ध धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त वेदप्रकाश के विरूद्ध धारा–19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी/तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त रोहिताश कुमार के विरूद्ध विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित हुआ है एवं अभियुक्त वेदप्रकाश का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है।

4. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण का अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप ही तर्क रहा है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, प्रार्थीगण निर्दोष हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण से किसी प्रकार की पूछताछ व बरामदगी करना भी शेष नहीं है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष को सुनकर केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण के कब्जेशुदा कार से 336 पव्वे देशी शराब के बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद होने का आरोप है। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त रोहिताश कुमार के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण संस्थित हुआ है, जो निर्णित भी हो चुका है व उस प्रकरण में अभियुक्त दोषमुक्त हुआ है। अभियुक्तगण दिनांक 06.03.2026 से अभिरक्षा में हैं, हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान व बरामदगी हो चुकी है। शेष अनुसंधान व अन्वीक्षा सम्पन्न होने में समय लगना संभाव्य है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी

किये बिना, प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **रोहिताश व वेदप्रकाश** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि **प्रत्येक** प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो मौतबिर जमानतें और पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उन्हें उक्त प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(आशीष कुमार कुमावत)
"लिंक अधिकारी"
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं

8. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

SUBHASH CHANDRA SONI
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA SONI
Date: 2026.03.13 11:22:01 +0530

(आशीष कुमार कुमावत)
"लिंक अधिकारी"
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं